उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-27/2016-17

रतन मंडल वगै0

बनाम्

किष्टो मंडल वगै0

-: आदेश :-

दिनांक	
28.07.22	अभिलेख का अवलोकन किया। वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता रतन मंडल वो विजय मंडल वो दिनेश मंडल वो उपेन्द्र मंडल, पे0-स्व0 दोराई मंडल, सा0-बेलटिकरी, थाना-महागामा, जिला-गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्तागण ने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय के मुटेशन अपील नं0-09/2009-10 आदेश दिनांक-13.07.2011 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा ने मुटेशन अपील नं0-09/2009-10 आदेश दिनांक-13.07.2011 के द्वारा अभिलेख नियमानुसार सुनवाई हेतु अंचल अधिकारी, मेहरमा को प्रति प्रेषित किया है। अपीलकर्त्तागण का आवेदन है कि मौजा-नीमा जमाबंदी नं0-30 रकवा 05-14-14 धुर जमीन सुन्दर मंडल वो तुरू मंडल, पे0-मखरू मंडल वो महाराज मंडल, पे0-गोमदी उर्फ गोविन्द मंडल वो दुधी मंडल, पे0-मोसदी मंडल के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत दुधी मंडल की मृत्यु नावल्द हो गयी है। उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0-77 रकवा 00-05-05 धुर, दाग नं0-78 रकवा 00-00-10 धुर, दाग नं0-67 रकवा 00-08-12 धुर, दाग नं0-170 रकवा 00-07-13 धुर, दाग नं0-171/266 रकवा 00-02-08 धुर, दाग नं0-202 रकवा 00-08-12 धुर, दाग नं0-116 रकवा 00-01-16 धुर कुल रकवा 02-05-09 धुर जमीन महाराज मंडल वो दुधी मंडल के नाम से दखल में दर्ज है। दुधी मंडल के नावल्द मृत्यु होने के बाद एक मात्र दखलकार महाराज मंडल हुए। जमाबंदी रैयत महाराज मंडल को एक मात्र पुत्री फुसरी देवी हुई। जिनकी शादी दोराई मंडल के साथ हुई। दोनों से चार पुत्र हुए। जिनमें से अपीलकर्त्तागण है। चूँकि महाराज मंडल को एक मात्र पुत्री फुसरी देवी थी। फुसरी देवी शादी के बाद अपने पिता के साथ ही रहने लगी एवं अपने पिता महाराज मंडल के मृत्यु के बाद उनके जमीन पर दखलकार हुई। अपीलकर्त्तागण फुसरी देवी के पुत्र हैं एवं महाराज

मंडल के दखल वाली जमीन का नामांतरण के लिए उनलोगो के द्वारा अंचल अधिकारी, मेहरमा के समक्ष आवेदन दाखिल किया गया। जिसके आधार पर मुटेशन केस नं0–53/06–07 संधारित किया गया एवं राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद रैयतों को नोटिश दिया गया एवं इसके बाद जाँच प्रतिवेदन से पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर अपीलकर्त्तागण के पक्ष में अंचल अधिकारी, मेहरमा के आदेश दिनांक–13.09.2006 के द्वारा नामान्तरण का आदेश पारित किया गया एवं शुद्धि पत्र निर्गत करने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश के आलोक में अपीलकर्त्तागण के नाम से लगान रसीद भी निर्गत किया जा रहा है। उनलोगो का आगे आवेदन है कि उक्त आदेश के विरूद्ध उत्तरवादी प्रथम पक्ष के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय में मुटेशन अपील नं0–09/09–10 दायर किया गया। उक्त अपील वाद में अपीलकर्त्तागण को नोटिश दिये बिना ही अंचल अधिकारी, मेहरमा के द्वारा पारित मुटेशन आदेश को निरस्त कर दिया गया है। निम्न न्यायालय के द्वारा अपीलकर्त्तागण को विधिवत रूप से नोटिश तामिल कराना चाहिए था एवं अपीलकर्त्तागण के सुनवाई के पश्चात् ही आदेश पारित करना चाहिए था। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्तागण के द्वारा अपील के काल अवधि को क्षान्त करने के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत आवेदन दाखिल किया है। अपील आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में उत्तरवादी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिश दिया गया।

कई तिथियों के बाद भी उत्तरवादी के द्वारा अपना लिखित बहस दाखिल नहीं किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–नीमा नं0–344 जमाबंदी नं0–30 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में शुनदर मंडल पो टुरी मंडल पेशरान भखनु मंडल पो महाराज मंडल वल्द गोमदी मंडल पो डुढी मंडल वल्द मोशदी मंडल के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–77, 78, 116, 170, 171/266 और 210 में रकबा 02–05–09 धुर जमीन अंचल अधिकारी, मेहरमा के नामान्तरण वाद सं0–53/06–07 आदेश दिनांक–13.09.2006 के

द्वारा अपीलकर्त्ता के नाम से नामान्तरण किया गया है। नामान्तरण के विरूद्ध उत्तरवादी के द्वारा भूमि सुधार उप समाहत्तर्रा, गोड्डा के न्यायालय में वाद दायर किया गया था। चूँकि अंचल अधिकारी, मेहरमा के द्वारा मौजा के सौलह आना रैयतों को नोटिश नहीं दिया गया था। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा ने अंचल अधिकारी, मेहरमा के मुटेशन केश नं0– 53/06–07 आदेश दिनांक–13.09.2006 को रद्द किया है तथा नियमानुसार सुनवाई हेतु अभिलेख अंचल अधिकारी, मेहरमा को रिमाण्ड किया है। ऐसी स्थिति में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के पारित आदेश में हस्तक्षेप करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के मुटेशन अपील नं0–09/2009–10 आदेश दिनांक–13.07.2011 को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

28/01/22

उपायुक्त,
गोड्डा।

28/01/22

उपायुक्त,
गोड्डा।

DB No-06
28.01.22

Seen
28
29-1-22
Adv.

Seen
29.1.22

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 17:53:04 +05:30
Location: 192.168.29.8